

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम जनपद चमोली में नारायणबगड़—चोपता मोटर मार्ग से पैठाणी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.583 हे० वन पंचायत, कुल 1.583 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

अधिसूचना अन्तर्गत निर्माण खण्ड लो० नि० वि० थराली (चमोली) प्रभागीय वनाधिकारी प्रभागीय वनाधिकारी (चमोली)